न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 78/2012

श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व0 श्री हरका, जाति रावत, निवासी ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री हरका
2. श्री रामपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री हरका
   समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर, जिला अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओम प्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :–18.11.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 58, 202 एवं 204 की कृषि भूमियों अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पति एवं पिता श्री हरका पुत्र मेन्दू जाति रावत के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां होकर हरका पुत्र मेन्दू का 1/2 हिस्सा विधि अनुकूल निहित करता है, जिनका स्वर्गवास हो जाने पर उनके विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपूर्ण सजरा उल्लेखित कर राजस्व अतिधकारीगण एवं कर्मचारीगण को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराये बिना विरासत नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 12.05.1987 केवल अपने हक में पारित करवा लिया गया जबकि अपीलान्ट स्व0 श्री हरका पुत्र मेन्दू की विवाहित पत्नी होकर उक्त वर्णित कृषि भूमियों में अपीलान्ट का भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं संशांधित अधिनियम 2005 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत हक, अधिकारी एवं आधिपत्य निहित करता है। अतः अपीलान्ट विद्वान सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 12.05.1987 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर रहे। रेस्पोंडेन्ट 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पूर्ववर्ती बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण जो कि ग्रामीण व अशिक्षित महिला है, जिनके द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 28.12.2011 को हुई

जिला कलक्टर,
अजमेर

जब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त अंकन होने के आधार पर आराजी मुतनाजा में से कुछ भूमि विक्रय किये जाने की जानकारी हुई, जब प्रार्थीया द्वारा उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 16.02.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 22.02.2012 को उक्त नामान्तकरण की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर विधिक राय लेकर फीस व खर्चे की व्यवस्था करते हुए यह अपील जानकारी की दिनांक से अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत की जाने में हुई देरी का पर्याप्त व सद्भाविक कारण होने से देरी को क्षमा प्रदान की जाकर अपील गुणावगुण पर निर्मित फरमाये। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकॉर्ड का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई। अपीलान्ट अभिभाषक ने दौराने बहस अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 58, 202 एवं 204 की कृषि भूमियों अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पति एवं पिता श्री हरका पुत्र मेन्दू जाति रावत के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां होकर हरका पुत्र मेन्दू का 1/2 हिस्सा विधि अनुकूल निहित करता है, जिनका स्वर्गवास हो जाने पर उनके विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपूर्ण सजरा उल्लेखित कर राजस्व अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराये बिना विरासत नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 12.05.1987 केवल अपने हक में पारित करवा लिया गया जबकि अपीलान्ट स्व0 श्री हरका पुत्र मेन्दू की विवाहित पत्नी होकर उक्त वर्णित कृषि भूमियों में अपीलान्ट का भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं संशांधित अधिनियम 2005 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत हक, अधिकारी एवं आधिपत्य निहित करता है। आराजी मुतनाजा पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि होकर स्व0 श्री हरका पुत्र मेन्दू का 1/2 हिस्सा विधि अनुकूल निहित करता है, जिनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्ट जो कि स्व0 श्री हरका की विवाहित पत्नी होकर उसका 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्सा निहित करता है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपूर्ण व मिथ्या तथ्य प्रकट करते हुए गैर कानूनी एवं विधिक प्रावधानों के विपरित विरासत नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 12.05.1987 पारित करवाते हुए अपीलान्ट को उसके विधिक हक, अधिकारी एवं आधिपत्य से वंचित किये जाने का प्रयास किया गया है जबकि विधि के तहत ऐसा किये जाने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार से कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं करता है। अतः नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 12.05.1987 विधिक प्रावधानों के विपरित होकर काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट अपने पति स्व0 श्री हरका के खातेदारी, हक अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमियों पर विधिक वारिस की हैसियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ बहैसियत संयुक्त खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतनाजा को रहनबय, मुन्तकिल कर अपीलान्ट को उसके विधिक हक, अधिकार एवं आधिपत्य से वंचित किये जाने पर आमादा है। अतः गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण विरासत नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 12.05.1987 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करावें।

जिला कलक्टर
अजमेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण विरासत नामान्तकरण संख्या 173 के आधार पर अंकित खातेदारी की आड़ में खाता संख्या 203 के खसरा नम्बर 408 में से कुछ भूमि अन्य व्यक्ति को विक्रय किये जाने की जानकारी दिनांक 28.12.2011 को प्राप्त हुई जिस पर वादीया द्वारा उक्त विक्रय एवं गैर कानूनी इन्द्राज को चुनौती दिये जाने हेतु एक राजस्व वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 15/2012 विद्वान उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 23.01.2012 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर प्रकरण विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 14.05.2012 नियत है। इस प्रकार अपीलान्ट को उक्त गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28.12.2011 को होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए त्रुटिपूर्ण नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2012 को प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 22.02.2012 प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा खर्चे एवं फीस की व्यवस्था कर विधिक राय ली जाकर जानकारी की दिनांक से अन्दर मयाद यह अपील तैयार कराते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 12.05.1987 निरस्त फरमाते हुए अपीलान्ट के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ नामान्तकरण अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम लाडपुरा तहसील अजमेर के नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 12.05.1987 के खातेदार के फौत होने पर उसके सभी वारिसानों की जांच किए बगैर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 173 दिनांक 12.05.1987 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये बगैर विधि विरूद्ध पारित किया है जिसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत नहीं रखा है। पत्नी का भी हक हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होने से तथा आक्षेपीय नामान्तरकरण में अपीलान्ट की पत्नी का नाम शामिल नहीं करने की सूरत में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 12.05.1987 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार हरका के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर, दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत् आदेश पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर